कार्यालय नगर पंचायत बेरला, जिला–बेमेतरा, (छ. ग.)

ई.मेलः– cmoberla@rediffmail.com

क्रमांक / 241 / लो.नि.वि. / न.पं / 2026–27 बेरला ,दिनांक – 15 / 06 / 2026

/ / ई–निविदा आमंत्रण सूचना / /

नगर पंचायत बेरला में अधोंसरचना मद अंतर्गत दैहान में भवन, सी.सी. रोड एवं शेड निर्माण कार्य हेतु एकीकृत पंजीयन प्रणाली में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से ऑनलाईन निविदा प्रपत्र ''अ'' में छ.ग. लोक निर्माण विभाग में प्रचालित CG BUILDING SOR 2015, CG PWD ELECTRIC SOR 2020 & CG PHE SOR 2020 से प्रतिशत दर पर आमंत्रित की जाती है :–

क्रं.	कार्य विवरण	लागत (रू. लाख में)	अमानत राशि	ठेकेदार की श्रेणी	समय सीमा	निविदा प्रपत्र शुल्क (रू.में)	निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	अमानत राशि एवं 100 रू. स्टाम्प जमा करने की अंतिम तिथि
1	दैहान में भवन, सी.सी. रोड एवं शेड निर्माण कार्य	38.08	28600/-	सक्षम श्रेणी	06 माह	1500/- (From A)	**08/07/2026 17:30 PM** तक	**10/07/2026 16:00 PM** तक

उपरोक्त निर्माण कार्यो की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि,, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in And https://cguad.gov.in से दिनांक **16/06/2026** को **19:30** बजे से डाउनलोड की जा सकती है।

संलग्न :– नियम एवं शर्ते।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत बेरला

पृ. क्रमांक / 242 / लो.नि.वि. / न.पं / 2026–27 बेरला ,दिनांक – 15 / 06 / 2026

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग अटल नगर नवा रायपुर को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सम्प्रेषित।
4. अध्यक्ष, नगर पंचायत बेरला की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कार्यालय नगर पंचायत बेरला के सूचना पटल पर चस्पा कर सर्वसाधारण को सूचनार्थ।
6. संवाददाता, ... एवं .... को दैनिक समाचार पत्र मे साईज (8x2) मे 01 दिवस प्रकाशन हेतु प्रेषित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत बेरला

<u>कार्यालय पंचायत बेरला, जिला – बेमेतरा (छ.ग.)</u>

ई निविदा सूचना क्रमांक ...., दिनांक ....

<u>–: नियम एवं शर्तें :–</u>

01 निर्धारित समय–सीमा में निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेज को आनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करेगें :–

(a) एकीकृत पंजीयन प्रणाली से सक्षम श्रेणी में *पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति* / साझेदारी फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(b) पैन कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति ।

(c) कार्य की लागत राशि का 15 प्रतिशत राशि का बैक सालवेन्सी की प्रति ।

(d) इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति (विगत 03 वर्ष का)

(e) विभाग / संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रू.100.00 के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र (मूल शपथ पत्र)।

02 ई निविदा की पात्रता हेतु सक्षम श्रेणी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित, अमानत राशि का एफ.डी.आर. राष्ट्रीकृत बैक की मूल कापी एवं निविदा शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने पर टेकनिकल बिड खोला जायेगा । टेकनिकल बिड में वांछित दस्तावेज अनुसार पात्रता होने पर फायनेशियल बिड खोली जायेगी ।

03 पुराने एफ.डी.आर. / टी.डी.आर. एवं पूर्व में जमा धरोहर राशि का एफ.डी.आर. / टी.डी.आर. नहीं मान्य किया जावेगा और नहीं समायोजन किया जायेगा।

04 प्रत्येक रनिंग बिल से शासन के निर्देश एवं मापदण्ड अनुसार कटौती की जावेगी।

05 दर समस्त कर जैसे – आयकर, जी.एस.टी. रॉयल्टी इत्यादि सहित होगी । प्रतिशत दर के अतिरिक्त काई अन्य प्रभार का भुगतान नही किया जायेगा तथा प्रत्येक रनिंग बिल से शासन के निर्देश एवं मापदण्ड अनुसार कटौती की जायेगी ।

06 सशर्त निविदाएं मान्य नही की जावेगी।

07 निविदा में किसी भी सुस्पष्ट भाग अथवा निविदा में संशोधन / स्थगन का अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।

08 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकृत होने पर ठेकेदार के रूप में संदर्भित विहित प्रारूप में प्राधिकारी द्वारा उसकी निविदा स्वीकार किए जाने की सूचना दिनांक से 14 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन करेगा। उसमें विफल रहने का परिणाम अग्रिम धन का राजसात एवं निविदा निरस्ती के रूप में होगा।

09 निविदा सूचना पत्र की सभी शर्तें पंजीकृत ठेकेदार पर विहित प्रारूप में संविदा की सभी के अलावा बंधनकारी होगी।

10 निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

11 किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बगैर कोई कारण बतायें निरस्त करने का एवं कार्य की लागत राशि से कम कार्य कराये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा । जिसकी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नही किया जावेगा ।

12 समस्त सामाग्रीयों के परिवहन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

13 ठेकेदार के बिल से 05 प्रतिशत की राशि सुरक्षानिधि के रूप में रोकी जावेगी, जिसका नियमानुसार भुगतान किया जावेगा ।

14 निविदा दर एसओआर से 10 प्रतिशत कम से अधिक होने की दशा में अंतर की राशि निविदा स्वीकृति की तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए ठेकेदार को आगामी 01 वर्ष के लिए निकाय में किसी भी प्रकार के निविदा में भाग लेने से वंचित करने की कार्यवाही की जावेगी।

15 कार्य के चल देयक में कुल देयक का 85 प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान नही किया जावेगा।

16 राशि उपलब्धता के आधार पर भुगतान की जावेगी।

17 यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में निविदा प्राप्ति दिनांक को अवकाश घोषित होता है तो आगामी कार्य दिवस को तदानुसार निविदा प्राप्ति माना जावेगा।

18 निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अनुबंध अनुसार पेनाल्टी/कार्यवाही की जायेगी।

19 कार्य स्थल में विवाद होने की स्थिति में/अपरिहार्य कारणो से कार्य निरस्त होने पर निविदा निरस्त करते हुए निविदा प्रपत्र के मूल्य के अलावा अन्य जमा करायी गयी राशि वापस करते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा । ऐसी स्थिति में कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नही होगी ।

20 किसी भी निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि वे निविदा से संबंधित समस्त नियम एवं शर्तो का एवं स्थल अवलोकन कर लिया गया है तथा उन्हे समस्त नियम शर्ते मान्य हैं।

21 केन्द्र शासन/राज्य शासन के विभिन्न विभाग जैसे – आयकर विभाग, जी.एस.टी., खनिज विभाग, श्रम विभाग एवं अन्य विभाग के द्वारा जारी निर्देशो/आदेशो का पालन की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी ।

22 निविदा राशि का कार्य संपादित नही कराने में कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगा ।

23 कार्य प्रारंभ करने के पूर्व फोटो उपलब्ध कराना ठेकेदार का दायित्व होगा । कार्यादेश जारी होने के बाद उप अभियंता से ले आउट प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

24 दो या दो से अधिक संबंधित व्यक्ति जो एक ही प्रोपाराईटर अथवा भागीदार के रूप में हितबध्द है, समान कार्य के निष्पादन के लिए निविदा प्रस्तुत नही कर सकेंगे। कार्यादेश जारी होने के बाद इस आशय की जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में भुगतान स्थगित करते हुए सक्षम प्राधिकारी के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जावेगा, जिसमें निविदा निरस्त कर जमा राशि राजसात की स्थिति भी हो सकती है ।

25 निविदा के किसी भी सुस्पष्ट भाग अथवा निविदा में संशोधन/स्थगन का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा ।

26 ठेकेदार संविदा के अंतर्गत संपूर्ण कार्य अथवा किसी भी भाग किसी अन्य पक्ष अथवा पक्षों का समनुदेशन अथवा उप पट्टे पर नही होगा । कार्यो को सबलेट नही किया जा सकेगा

27 विद्युतीकरण कार्य अंतर्गत समस्त कार्य निर्धारित गुणवत्तायुक्त एवं वारंटी अवधि में सुधार करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

28 निर्माण कार्य का भुगतान सामग्री परीक्षण के परिणाम, मापदण्ड के अनुरूप पाये जाने के उपरांत ही किया जायेगा ।

29 ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान ''निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016'' में किये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत बेरला
जिला – बेमेतरा (छ.ग.)